न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/4767/2004/बीकानेर

1. काशीराम पुत्र तख्ताराम जाति ब्राहमण निवासी किसनासर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार

–प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित
श्री समीर अहमद, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री बिजेन्द्र चौधरी, अति0 राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–07–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर के न्यायालय में प्रतिवादी प्रत्यर्थी के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 92–ए एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के

अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम किसनासर स्थित आराजी खसरा नम्बर 492/149 रकबा 20बीघा भूमि वादी को सम्वत् 2022 में आवंटित हुई, जिस पर वह निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा आवंटित भूमि की खातेदारी सम्वत् 2034 में नामान्तरकरण संख्या 431 से वादी को प्रदान की गयी। सम्वत् 2035 में यह रकबा चकबंदी में उपनिवेशन विभाग के पास चला गया एवं वादी का नाम दर्ज नहीं किया। वर्तमान में विवादित भूमि राजपुरा हुडान के खसरा नम्बर 268 रकबा 03बीघा 16बिस्वा एवं खसरा नम्बर 337 रकबा 16बीघा 17बिस्वा कुल 20बीघा 13बिस्वा रिकार्ड में चीपती सींव होने के कारण रकबा राज दर्ज की, जो वास्तव में वादी को आवंटित रकबा है। अतः विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित चार तनकियात कायम की गयी एवं उभय पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17-02-2006 से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादी की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय 30-07-2004 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादी अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम किसनासर स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 492/149 रकबा 20बीघा भूमि वादी को सम्वत् 2022 में आवंटित की गयी थी, जिस पर वह निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार सम्वत् 2034 में नामान्तरकरण संख्या 431 से वादी को प्रदान किये गये। उनका कथन है कि सम्वत् 2035 में यह रकबा उपनिवेशन क्षेत्र में आने से रोही मौजा राजपुरा हुडान के खसरा नम्बर 268 एवं खसरा नम्बर 337 रकबा 20बीघा 13बिस्वा रिकार्ड में फिट किया गया परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी राज दर्ज कर दिया। उनका कथन है कि वादी का विवादित आराजी पर आवंटन उपरान्त निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आवंटन के वक्त मौके पर जहां कब्जा दिया गया, उसी भूमि पर वादी काबिज काश्त है। उनका कथन है कि राजपुराहुडान की विवादित आराजी तथा किसनासर की आवंटित भूमि एक ही है। उनका कथन है कि वादी ने अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से इस तथ्य को भलीभांति प्रमाणित किया कि विवादित आराजी वादी को आवंटित भूमि है किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की अनदेखी की, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जाकर विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती कर वादी को विवादित आराजी का खातोदार घोषित किया जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को ग्राम किसनासर में भूमि आवंटित हुई

थी किन्तु अपीलार्थी द्वारा ग्राम राजपुरा हुडान स्थित आराजी बाबत् वाद प्रस्तुत कर इन्द्राज दुरूस्ती कर घोषणा का अनुतोष चाहा गया, जो प्रदान किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। उनका कथन है कि वादी ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं कराया है कि आवंटित भूमि एवं विवादित आराजी एक ही है, ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि विवावित आराजी राजस्व अभिलेख में राजकीय भूमि है, जो वादी अपीलार्थी को कभी आवंटित नहीं हुई। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय पारित किये है, जिनमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तात्विक अनियमितता नहीं होने से उनमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने अपने वादपत्र में कथन किया कि ग्राम किसनासर स्थित आराजी खसरा नम्बर 492/149 रकबा 20बीघा भूमि वादी को सम्वत् 2022 में आवंटित हुई, जिस पर वह निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा आवंटित भूमि की खातेदारी सम्वत् 2034 में नामान्तरकरण संख्या 431 से वादी को प्रदान की गयी। सम्वत् 2035 में यह रकबा चकबंदी में उपनिवेशन विभाग के पास चला गया एवं वादी का नाम दर्ज नहीं किया। वर्तमान में विवादित भूमि राजपुरा हुडान के खसरा नम्बर 268 रकबा 03बीघा 16बिस्वा एवं खसरा नम्बर 337 रकबा 16बीघा 17बिस्वा कुल 20बीघा 13बिस्वा रिकार्ड में चीपती सींव होने के कारण रकबा राज दर्ज की, जो वास्तव में

वादी को आवंटित रकबा है। अतः विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तनकी संख्या–1 व 2 के निर्णय में यह माना कि वादी मात्र सम्वत् 2058 में विवादित भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त रहा। जो रकबा वादी को आवंटित हुआ था, वह ग्राम किसनासर का रकबा था। वादी अन्यत्र भूमि बाबत् वाद किस आधार पर लाया है, स्पष्ट नहीं है, ना ही वादी का विवादित आराजी पर एडवर्स पजेशन साबित होता है। केवल मात्र मौखिक साक्ष्य एवं एक वर्षीय ट्रेसपासर के आधार पर विवादित आराजी में वादी कोकोई अधिकार प्राप्त नहीं होते अंकित करते हुए तनकी संख्या–1 व 2 को वादी के विरूद्ध निर्णीत की गयी। तनकी संख्या–3 को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पक्ष राज्य सरकार पर था, प्रस्तुत प्रकरण में वादी को ग्राम किसनासर स्थित आराजी का आंवटन हुआ किन्तु वादी ने राजपुराहुडान स्थित विवादित आराजी बाबत् वाद किस आधार पर प्रस्तुत किया, स्पष्ट नहीं किया गया गया, ना ही दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कराया। विचारण न्यायालय ने इसी तथ्य के मद्देनजर कायम की गयी तनकी संख्या–3 को प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने के आधार पर खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलार्थी ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से इस प्रमुख बिन्दू को प्रमाणित नहीं कराया कि ग्राम किसनासर की आवंटित भूमि एवं वादपत्र में उल्लेखित राजपुराहुडान स्थित आराजी एक ही है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया। इस प्रकार प्रस्तुत

प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों की विस्तृत रूप से विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये है, जिनमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है।

9. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-07-2004 एवं उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17-02-2004 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य